

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं० : 55/2025

1. ममता बाई पत्नी राकेश कुमार शर्मा निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़  
:- वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। :- प्रतिवादी

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी व प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 8 जेएसएल के खाता संख्या 198/49 के मु०नं० 89 के किला नं० 21, मु० नं० 90 के किला नं० 23 ता 25, मु० नं० 95 के किला नं० 3 ता 8, 13 ता 18, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु० नं० 96 के किला नं० 1, 10, 11, 20 कुल कित्ता 26 की 5.819 है० नहरी मय रास्ता की खातेदारी में वादिया का 1/23 हिस्सा खातेदारी है। जिसमें वादीया का नाम ममताशर्मा पत्नी राकेश दर्ज है जबकि उक्त खाते की भूमि में वादीया का सही नाम ममता बाई पत्नी राकेश कुमार शर्मा है। अतः रोही मोजा चक 8 जेएसएल के खाता संख्या 198/49 के मु०नं० 89 के किला नं० 21, मु० नं० 90 के किला नं० 23 ता 25, मु० नं० 95 के किला नं० 3 ता 8, 13 ता 18, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु० नं० 96 के किला नं० 1, 10, 11, 20 कुल कित्ता 26 की 5.819 है० नहरी मय रास्ता की खातेदारी में वादिया का 1/23 हिस्सा में ममता शर्मा पत्नी राकेश की जगह वादीया का नाम ममता बाई पत्नी राकेश कुमार शर्मा किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच ममता शर्मा पत्नी राकेश के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में ममता शर्मा पत्नी राकेश के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए ममता शर्मा पत्नी राकेश नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ~~26.02.26~~ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



*(निधि उड़सरिया)*

(निधि उड़सरिया) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

